न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 155/2024 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2024/170

1. मनदीप कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह
2. प्रीतपाल कौर पत्नी गुरसाहिब सिंह
3. गुरनिशान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह

जाति जट सिख निवासी दूदाखींचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र दलीप सिह जाति जट सिख निवासी दूदाखींचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र दलीप सिह जाति जट सिख निवासी दूदाखींचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलदीप सिंह पुत्र दलीप सिह जाति जट सिख निवासी दूदाखींचड़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद —अभिभाषक अपीलांट
श्री दिनेश गहलोत —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
एकतरफा कार्यवाही —रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

यह अपील राजस्थान भूं–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.12.2024 (09.12.2024) के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि चक 15 एसडीएम तहसील सादुलशहर के खाता संख्या 24/21 में 8.095 हैक्टेयर, खाता संख्या 40/39 में 1.884 हैक्ट., खाता सं. 41/40 में 0.253 हैक्ट. कृषि भूमि है। उक्त वादगत भूमि का तहसीलदार सादुलशहर के सहमति से विभाजन के आदेश दिनांक 26.10.2007 के अनुसार इंतकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 को दर्ज हुआ। उक्त इंतकाल सं. 388

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2024 (09.12.2024) पारित करते हुए अपीलाधीन इंतकाल सं. 388 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में इंतकाल सं. 388 को चुनौती देते हुए एक अपील पेश की। इंतकाल सं. 388 स्वीकृत दिनांक 02.11.2007 तहसीलदार सादुलशहर के सहमति से विभाजन के आदेश के अनुसार दर्ज हुआ है। इसलिए इंतकाल सं. 388 मूल आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने में कानूनी भूल की है। साथ ही सहमति से विभाजन आदेश मे स्पष्ट है कि चक 12 एसडीएम व चक 15 एसडीएम की समस्त संयुक्त परिवार की सम्पति को विभाजित किया गया है तथा रेस्पो. सं. 1 रूपसिंह के खाता सं. 61/60 में 1.265 हिस्सा रखा गया, जो कालान्तर में रूपसिंह के नाम दर्ज हुआ, जिसे रूपसिंह ने विक्रय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छिपाकर केवल नामान्तरण को चुनौती देने बाबत अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 13 वर्ष बाद अपील पेश हुई, जिस पर किसी प्रकार का निर्णय दिये बिना आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल विभाजन आदेश को निरस्त नहीं किया बल्कि उक्त मूल आदेश के अनुसार दर्ज इंतकाल को निरस्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। वादगत भूमि आदेश जैर अपील पारित करने के दिन अपीलांट सं. 1, 2 के नाम भी दर्ज हो चुकी थी किन्तु उन्हें पक्षकार बनाये बिना व समस्त राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। वादगत भूमि जरिये दानपत्र अपीलांट सं. 1, 2 को दिनांक 23.08.2024 को मूल खातेदार लक्ष्मण सिंह द्वारा दी जा चुकी थी। लक्ष्मण सिंह के अधिकार उक्त वादगत भूमि से समाप्त हो चुके थे। फिर भी अपीलांट के खातेदारी अधिकार आदेश जैर अपील पारित कर समाप्त कर दिये। *"अधीनस्थ न्यायालय मे पेश अपील मूल आदेश के विरूद्ध न होकर, पालना में दर्ज इंतकाल के विरूद्ध पेश होने के कारण संधारण योग्य नहीं थी"* अपीलांट सं. 1 व रेस्पो. सं. 2, 3 की ओर से उठाये गये उक्त बिन्दु पर मनमाने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तरीके से विवेचना करते हुए किसी भी प्रकार का कोई स्पीकिंग आदेश नहीं दिया। इसी प्रकार मियाद बिन्दु पर उठाये गये बिन्दु पर भी स्पीकिंग आदेश पारित नही कर, मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से विवेचना करते हुए किसी प्रकार का कोई स्पीकिंग आदेश नहीं दिया। तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत अपीलांट एवं उसके भाइयों, बहनों व माता की आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन किया था, जिसकी पालना में इंतकाल सं. 388 दर्ज हुआ। रेस्पो. सं. 1 द्वारा पुलिस थाना लालगढ़ जाटान में दर्ज एफ.आई.आर. में भी जांच उपरांत एफ.आर. लग चुकी है। कानूनन स्थिति स्पष्ट है कि जब तक सहमति से विभाजन का आदेश दिनांक 26.10.2007 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, तब तक इंतकाल सं. 388 को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के संबंध में आर.एल.डब्ल्यू. 2013(1)आरजे पेज नंबर 259 का उल्लेख किया है।

3— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपनी अपील के सब्जेक्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि आदेश व इंतकाल निरस्त किया जावे एवं इस अपील के साथ नकल प्राप्त करने का प्रा. पत्र मय पुश्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है, जिसमें इंतकाल सं. 388 में जो आदेश तहसीलदार सादुलशहर क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। परंतु उक्त प्रा. पत्र पर भू.अ. लिपिक द्वारा यह टिप्पणी की गई कि तहसील भू.अ. शाखा का अवलोकन किया गया क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 का आदेश इस शाखा से जारी नहीं हुआ है। इस पर तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन की पुश्त पर यह नोट अंकित करते हुए कि अन्य शाखाओं से चैक किया गया, उक्त आदेश क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 का आदेश जारी नहीं हुआ। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। इस प्रकार ऐसा कोई आदेश नहीं होने के कारण इंतकाल सं. 388 ही मूल आदेश हुआ, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गई है। इस आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रिमाण्ड किया गया है तथा यह निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई की जाकर पुनः आदेश पारित करे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, न्यायिक दृष्टांत एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक दिनांक 04.12.2024 (09.12.2024) पारित करते हुए तहसीलदार सादुलशहर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 388 स्वीकृत दिनांक 02.11.2007 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई की जाकर पुनः आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा इंतकाल संख्या 388 दिनांक 02.11.2007 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। उक्त इंतकाल सं. 388 तहसीलदार सादुलशहर के आपसी सहमति से खाता विभाजन के आदेश क्रमांक 3208 दिनांक 26.10.2007 की अनुपालना में दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. सं. 1 द्वारा मूल आदेश की अपील न करके उसकी पालना में दर्ज इंतकाल की अपील पेश की हैं, जो न्यायोचित नहीं हैं। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2024 (09.12.2024) निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्ष को सुनकर व दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर